महिला वन गश्ती दल

महिला वन गश्ती दल

एक अभिनव प्रयास

वर्त्तमान बिहार राज्य के जिन ग्यारह जिलों में प्राकृतिक वन है, बांका जिला उनमें से एक है। बांका जिला के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 14 प्रतिशत भाग वन भूमि के रूप में अधिसूचित है। लेकिन उन वन क्षेत्रों की स्थिति पूर्व में अच्छी नहीं थी। बहुत सारे वन क्षेत्र झाड़ीनुमा अथवा पेड़–पौधे विहीन थे एवं जहाँ–कहीं भी पेड़–पौधे थे उनमें आसपास के लोगों द्वारा जलावन हेतु अवैध कटाई की जाती थी एवं इस कार्य में विशेष रूप से महिलाएँ सम्मिलित रहती थी एवं मथवोझिया द्वारा जलावन का निष्कासन किया जाता था। इस तरह वन की स्थिति में ह्रास हो रहा था। इसके मद्देनजर वन प्रशासन द्वारा वनों के आसपास के निवासियों के सहयोग से वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास का कार्य शुरू किया एवं स्थानीय स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया जिनके पदधारकों का चयन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। उक्त संयुक्त वन प्रंबंधन समिति द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्र में जहाँ पेड़–पौधे नहीं थे अथवा सघनता कम थी, वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया एवं साथ ही जंगल के पेड़–पौधे को बचाने का कार्य किया गया जिसके चलते वनों की स्थिति में सुधार होने लगा। फिर भी चोरी–छिपे महिला मथवोझिया द्वारा जलावन के रूप में पेड़–पौधों को काटकर निकाला जाता था।

लेकिन उस मामलें में अहम मोड़ तब आया जब वर्ष 2010 में वनों की रक्षा के लिए बांका वन प्रमंडल अंतर्गत बांका प्रक्षेत्र के वनपाल, श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जलावन के लिए पेड़–पौधे को काटनेवाली महिलाओं को पेड़ की कटाई के दुष्प्रभाव के बारे में समझाया बुझाया गया एवं उन महिलाओं द्वारा यह भी महसूस किया गया कि सचमुच में उनके द्वारा पेड़–पौधे काटने से पर्यावरण के साथ–साथ स्थानीय लोगों को अपूरणीय क्षति हो रही है। बल्कि पेड़–पौधे के रहने एवं उन्हें बचाने से कई लाभ प्राप्त होंगे। इसके बाद उनलोगों के द्वारा पेड़–पौधे को नहीं काटने एवं बचाने हेतु शपथ लिया गया एवं समूह बनाकर एक गश्ती दल गठित कर पेड़–पौधे को बचाने का कार्य शुरू किया गया।

शुरू में यह संख्या छोटी थी लेकिन गश्ती दल में सम्मिलित उन महिलाओं से प्रेरणा लेकर कई महिलायें दल में सम्मिलित होती चली गयी। वर्त्तमान में 101 महिलाओं का 4 महिला वन गश्ती दल कार्यरत है जो स्वयं सेवी है। इनमें से अधिकतर महादलित, पिछड़ी जाति एवं आदिवासी महिलायें है जो वनों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध एवं समर्पित है। यह महिला वन गश्ती दल बांका वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत लीलागोड़ा मोहनपुर, पिरौटा एवं कुशहा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत 2675 एकड़ में वनों की गश्ती करती है एवं वनों के अंदर अवांछनीय व्यक्तियों की भनक लगते ही स्वयं सेवी महिला वन गश्ती दल दिन–रात अथवा मौसम की परवाह किये बिना जंगल की ओर कूच कर जाती है एवं वन विरोधी तत्वों से मुकाबला करती

है। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय वनकर्मियों को भी सहायता के लिए बुलाती है एवं वन विध्वंसक तत्वों पर कामयाबी हासिल होने पर ही चैन की सांस लेती है। स्थानीय वनकर्मी भी खबर मिलते ही तुरन्त मौके पर पहुँच उन तत्वों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करते है। महिला वन गश्ती दल के हौसले के आगे रात्रि में भी वनों की अवैध कटाई करने वाले तत्व वन क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते है। इस तरह उक्त 2675 एकड़ का वन क्षेत्र इनकी सुरक्षा के घेरे में पूर्णतः सुरक्षित है एवं उन वन क्षेत्रों में साल एवं अन्य प्रजाति के पौधों का regeneration देखने लायक है।

महिला वन गश्ती दल की महिलाओं को विभाग की ओर से कोई मजदूरी या अन्य आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। उनके इस सराहनीय कार्य हेतु बांका वन प्रमंडल की ओर से प्रतीक के रूप में मात्र साड़ी, ब्लाउज, टोपी, जूता, मोजा, छाता एवं लाठी उपलब्ध कराया गया है। चूंकि उनमें से अधिकांश महिलाये महादलित, दलित एवं पिछड़ी जाति से आती है एवं काफी निर्धन है, इसलिए राज्य/केन्द्रीय योजनाओं यथा इन्दिरा आवास, हेल्थ कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु वन विभाग, महिला वन सुरक्षा दल एवं जिला प्रशासन के बीच सेतु का काम करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में यह महिलाएँ अन्य स्थानों की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है एवं उनसे साक्षात्कार कर वार्ता करने से आभास होता है कि वनों की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु उनमें कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, अदम्य साहस एवं उत्साह है।